~~राजस्थान सरकार~~

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2011/ जयपुर, दिनांक

परिपत्र

(आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया)

विभाग द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय सेवा पर चयन, सेवा से पृथकीकरण एवं अवकाश आदि प्रकरणों के लिए समय–समय पर प्रसारित दिशा–निर्देश/परिपत्रों के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

1. मानदेय सेवा में चयन

(A) ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4(02)पंराज/सशक्त/2010/27 दिनांक 02.10.2010 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11(3)(33)/मों/मबावि/2000/71981 दिनांक 02.10.2010 के द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के ग्रामीण क्षेत्र में चयन का अधिकार ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(i) मानदेय सेवा कर्मियों के लिए चयन कार्य हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना में रिक्तियां होने की स्थिति में प्रत्येंक माह की 15 तारीख तक केन्द्रवार रिक्तियों को भरने हेतु स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की जायेगी। पद के लिये निर्धारित योग्यता का विवरण अंकित करते हुए यह स्पष्ट किया जायेगा कि आवेदन पत्र सीडीपीओ कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। विज्ञप्ति में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ई–मेल आई.डी भी दी जायेगी। इस विज्ञप्ति की एक प्रति विकास अधिकारी को भेजी जायेगी।

(ii) विज्ञप्ति की एक प्रति संबंधित उप निदेशक को भेजी जायेगी, जो कि सभी अधिनस्थ परियोजनाओं की रिक्तियों का संकलन कर निदेशालय को विभागीय वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित करेगें।

(iii) ग्रामसभा के माध्यम से मानदेय कर्मी के चयन हेतु विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजन का आदेश प्रसारित किया जायेगा। ग्राम सभा के लिये तिथि विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस के पश्चात् की नहीं होगी। ग्राम सभा की तिथि सामान्यतः 5 व 15 तारीख को होगी। यह आदेश ग्राम सभा की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व जारी किया जायेगा। उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर आगामी ग्राम सभा में विचार कर निर्णय किया जायेगा। ग्राम सभा में नियमानुसार चयन सुनिश्चित करने के लिये विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सभा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जायेगें। बाल विकास परियोजना अधिकारी संबंधित ग्राम सभा में स्वंय अथवा अपने प्रतिनिधी (कम से कम महिला पर्यवेक्षक) की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।

(iv) संबंधित ग्राम पंचायत विज्ञप्ति की प्रति तथा ग्राम सभा आयोजन की तिथि की सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगी तथा उक्त पद रिक्ति तथा ग्राम सभा के दिनांक के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र के संबंधित पंचायत समिति के सदस्य को भी ग्राम सभा में भाग लेने हेतु आंमत्रित किया जायेगा।

(v) आवेदन परिशिष्ट 'अ' पर दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(vi) योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में ग्राम सभा आयोजन की तिथि से 1 कार्य दिवस पूर्व तक प्रस्तुत कर सकेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी को ई–मेल द्वारा भी आवेदन भेजा जा सकेगा जिसके साथ आवेदन पत्र तथा आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति स्कैन कर भेजी जायेगी। आवेदन पंचायत कार्यालय में ग्राम सेवक/सचिव को भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(vii) ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक तथा सीडीपीओ कार्यालय में संबंधित कर्मचारी आवेदन (मय संलग्नक) प्राप्ति की रसीद अवश्य देगें। प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाना आवश्यक होगा।

(viii) ग्राम सभा आयोजन के दिन भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसकी रसीद ग्राम सेवक देंगे।

(ix) ग्राम सभा द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों में से विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप योग्यतम महिला का चयन कर प्रस्ताव को विकास अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को उसी दिन भिजवाया जावेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा ग्राम सभा की अनुशंसा **परिशिष्ट 'स'** में भरकर चयनित आवेदक के आवेदन पत्र **परिशिष्ट 'अ'** मूल्यॉंकन प्रपत्र **परिशिष्ट 'ब'** तथा ग्राम सभा प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी को चयन की सूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

(x) पद रिक्ति की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा 3 माह की समयावधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन संकलित कर विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति के द्वारा चयन करवया जायेगा। विकास अधिकारी समिति की बैठक प्रस्ताव प्राप्ति के 30 दिवस में रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

(B) शहरी क्षेत्र

(i) शहरी क्षेत्र में चयन का कार्य निम्न समिति द्वारा सम्पन्न किया जावेगा:–

1. मेयर/अध्यक्ष/सभापति (नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद) अथवा उनके द्वारा नामित कोई एक पार्षद	**अध्यक्ष**
2. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	**सदस्य सचिव**
3. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी (निगम/परिषद/नगर पालिका)	**सदस्य**
4. संबंधित वार्ड पार्षद	**सदस्य**
5. सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक	**सदस्य**

(ii) शहरी क्षेत्रों से संबंधित बाल विकास परियोजना में मानदेय सेवा कर्मियों के लिए चयन कार्य हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पद रिक्त होने के 30 दिवस के अन्दर केन्द्रवार रिक्तियों को भरने हेतु स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की जायेगी। पद के लिए निर्धारित योग्यता का विवरण अंकित करते हुए यह स्पष्ट किया जायेगा कि आवेदन सीडीपीओ कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। उक्त विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया जायेगा कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर

चयन समिति की बैठक में विचार कर निर्णय किया जायेगा। आवेदन की अन्तिम तिथि विज्ञप्ति जारी होने से 15 दिवस पश्चात् की रखी जायेगी। विज्ञप्ति में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ई–मेल आई.डी भी दी जायेगी। नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के नोटिस बोर्ड पर भी विज्ञप्ति की प्रति चस्पा की जाएगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवेदन की अन्तिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा एवं ई–मेल द्वारा भी आवेदन भेजा जा सकेगा, जिसके साथ आवेदन पत्र तथा आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति स्कैन कर भेजी जायेगी। परियोजना कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों (मय संलग्नकों) की प्राप्ति रसीद आवेदक को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को आवेदन की अन्तिम तिथि से 7 दिवस के अन्दर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

(iii) चयन समिति की अनुशंसा **परिशिष्ट 'स'** में भरकर चयनित आवेदक के आवेदन पत्र **परिशिष्ट 'अ'** तथा मूल्याँकन प्रपत्र परिशिष्ट 'ब' के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी को चयन की सूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

(iv) पद रिक्ति की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया शहरी चयन समिति द्वारा 3 माह की समयावधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सीधे ही आवेदन आमंत्रित कर शहरी क्षेत्र हेतु प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त आवेदन प्रस्तुत कर चयन करवाया जायेगा।

ग्राम पंचायत की स्थाई समिति/शहरी क्षेत्र की चयन समिति द्वारा चयन इस परिपत्र के परिशिष्ट 'ब' में वर्णित मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर किया जायेगा।

2. **मानदेय सेवा एवं प्रशिक्षण**

(i) आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी है। इनके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। ये पूर्णतः अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली कार्यकर्ता है। इस बाबत चयन आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(ii) ग्राम तथा शहरी चयन समिति द्वारा चयन का अनुमोदन होने के उपरान्त संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किया गया चयन विभागीय दिशा–निर्देशानुरूप ही है। इस आशय से आश्वस्त होने के उपरान्त संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में चयन की सूचना जारी करेंगे तथा यथाशीघ्र कार्यविधि की व्यवस्था करेंगे।

(iii) कार्यविधि प्रशिक्षण में 'ए' या 'बी' ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किये जावेंगे तथा इसके उपरान्त केन्द्र पर कार्य प्रारम्भ करने पर मानदेय का लाभ देय होगा। किसी चयनित महिला के 'सी' या 'डी' ग्रेड आने पर उसे एक अतिरिक्त अवसर देते हुए पुनः कार्यविधि प्रशिक्षण में भेजा जा सकेगा।

(iv) चयनित महिला द्वारा कार्यविधि प्रशिक्षण के लिए नामांकित होने के लिए बावजूद भी यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे एक अवसर और देते हुए अगले बैच के लिए नामांकित किया जायेगा। इसके उपरान्त भी यदि उक्त महिला प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होती है तो उसका चयन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जायेगा, तथा ग्राम सभा द्वारा दोबारा चयन करवाया जायेगा। उक्त चयन में वह महिला चयन के लिए पात्र नहीं होगी।

(v) ऐसे पूर्व मानदेय कार्मिक जिनका दुबारा चयन होता है तो उन्हें पुनः कार्यविधि प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(vi) किसी भी परिस्थिति में संयुक्त परिवार की महिलांए यथा देवरानी–जिठानी, सास–बहू, ननद–भाभी का एक ही केन्द्र के लिए मानदेय सेवा में चयन नहीं किया जायेगा।

(vii) आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका मानदेय सेवाकर्मी है। अतः इनका स्थानान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा।

2. <u>चयन हेतु वांछित पात्रता</u>

(i) **स्थानीय निवासी होना**–आवेदन करने वाली महिला जिस केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस केन्द्र के कवरेज क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए। यदि आंगनबाडी कवरेज क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाली महिला उपलब्ध नहीं होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम की निर्धारित योग्यता वाली महिला तथा वह भी उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित ग्राम पंचायत की निर्धारित योग्यता वाली महिला तथा वह भी उपलब्ध नही होने पर संबंधित ग्राम पंचायत की निर्धारित योग्यता वाली महिला का चयन किया जा सकेगा।

(ii) **वैवाहिक स्थिति** –महिला का विवाहित होना आवश्यक है।

(iii) **शैक्षणिक योग्यता** –आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं मिनी आँगनबाडी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम दसवी पास तथा सहायिका हेतु न्यूनतम आठवीं पास होना आवश्यक है।

(iv) **आयु** – चयन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी।

(v) **श्रेणीवार प्राथमिकता परिशिष्ट 'ब' पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार देय होगी।**

जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों के लिए चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना आँगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कर आरक्षण वर्ग निर्धारित किया जावेगा।

(vi) **शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता–**

(अ) शहरी क्षेत्र–

शहरी क्षेत्र में की परियोजनाओं में शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र–

महिलाओं में शैक्षणिक पिछडेपन की स्थिति वाले जिले 1. बाडमेर 2. जैसलमेर 3. जालौर 4. प्रतापगढ 5. सिरोही 6. टोंक 7. उदयपुर में स्थिति ग्रामीण परियोजनाओं में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिलने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुए आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आँगनबाडी कार्यकर्ता हेतु 8वीं पास एवं सहायिका हेतु 5वी पास महिला का चयन किया जा सकता है। उक्त चयन के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कोई महिला चयन हेतु उपलब्ध नहीं है। **उपरोक्त 7 जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देय नहीं होगी।**

(vii) **विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप चयन नहीं होने पर अपील –**

a. यदि ग्रामसभा अथवा शहरी चयन समिति द्वारा उपयुक्त पात्रताधारी महिला का चयन नहीं किया जाता है।

b. यदि ग्रामसभा शहरी चयन समिति ऐसी महिला का चयन प्रस्ताव बाल विकास परियोजना अधिकारी को देती है जो वांछित पात्रता एवं वरीयता क्रम में सर्वथा उपयुक्त नहीं है एवं विभागीय नियमानुसार नहीं है;

c. यदि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ग्रामसभा तथा तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की स्थाई समिति /शहरी चयन समिति से प्राप्त प्रस्ताव का अतिक्रमण कर चयन आदेश जारी किये हों।

d. यदि चयन प्रक्रिया मे विभागीय दिशा–निर्देशों की पालना नही की गई हो।

तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रभावित पक्ष अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी 1 माह के भीतर अधोनिर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्मुख अपील प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करेंगे। प्रथम अपील के निस्तारण के 1 माह के अन्दर द्वितीय अपील की जा सकेगी। इसके लिए परियोजना क्षेत्रानुसार अपील प्राधिकारी एवं अपील निस्तारण की अवधि निम्न प्रकार होंगी :–

क्र.स	क्षेत्र	अपील अधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	2 माह	2 माह
2	शहरी	अतिरिक्त जिला कलक्टर	अतिरिक्त निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं	2 माह	2 माह

परन्तु विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी भी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस के अंदर राज्य सरकार नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों को मंगवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

4. मानदेय सेवा से पृथक्करण

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता का मानदेय सेवा से पृथकीकरण निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जा सकेंगा :–

i) आंगनबाडी कार्यकर्ता/ मिनी आंगनबाडी कार्यक्र्ता द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवाएँ आवश्यक रूप से समाप्त कर दी जायेंगी।

ii) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता की सूची जारी की जाएगी जिनकी मानदेय सेवा उसी कलेण्डर वर्ष में 60 वर्ष पूर्ण करने पर समाप्त की जायेंगी। इस बारे में मानदेय कर्मियों को सूचित करने की जिम्मेदारी संबधित पर्यवेक्षक की होगी।

iii) यहां यह उल्लेखनीय है कि जिन मानदेय कर्मियों को इस परिपत्र के जारी होने से पहले 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिल चुका है। वे 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कार्य कर सकेंगी। इस

परिपत्र के जारी होने के पश्चात किसी भी मानदेय कर्मी को किसी भी आधार पर सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा।

iv) यदि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी कोई मानदेय कार्मिक कार्यरत पाई जाती है तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही संबंधित मानदेय कार्मिक से 60 वर्ष की आयु से अधिक अवधि में प्राप्त मानदेय की राशि की वसूली की जाएगी।

v) यदि आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता किसी प्रकार के दुराचरण की दोषी पायी जाती है या किसी न्यायालय द्वारा दोषी पाई जाती है तो उसे मानदेय से पृथक किया जा सकेगा।

vi) जिला स्तरीय अधिकारी, निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आंगनबाडी केन्द्र बंद पाये जाने व गम्भीर अनियमितता पर संक्षिप्त जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित मानदेय कार्यकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, संक्षिप्त जांच उपरान्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से संबंधित निरीक्षणकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा। मानदेय सेवा से पृथक की गई मानदेयकर्मी 1 माह की अवधि में अपनी अपील संबंधित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकती है।

vii) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक अथवा परियोजना स्तरीय अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा अथवा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा दोषी पाया जाता है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी/ पर्यवेक्षक द्वारा उस केन्द्र की विशेष रूप से जॉच व निगरानी रखी जावेगी। इसी के तहत संबंधित कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका को एक-एक माह के अन्तराल पर कार्य में अपेक्षित सुधार हेतु दो नोटिस दिये जायेंगे। इसके उपरान्त भी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के कार्य में सुधार नहीं होता है तो संबंधित मानदेयकर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किया जाने के लिए परियोजना अधिकारी द्वारा उप निदेशक को प्रस्ताव भेजे जायेगें उप निदेशक तथ्यों पर समुचित विचार कर आदेश पारित करेंगें। अपील के निस्तारण तक संबंधित मानदेयकर्मी के स्थान पर नवीन चयन नहीं किया जाएगा। किन्तु अस्थाई व्यवस्था की जा सकती है।

viii) कोई मानदेयकर्मी जो पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु दो बार नामांकित होने के बावजूद प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होती है उसे दोनों अनुपस्थिति पर एक-एक नोटिस देने के पश्चात् मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

ix) किसी मानदेयकर्मी के बिना किसी सूचना/अनुमति के अनुपस्थित रहने पर 1-1 माह के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जायेंगे। दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

x) शिकायत/अनियमितता के कारण मानदेय सेवा से पृथक की गई महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में पुनः मानदेय सेवा में नहीं लिया जा सकेगा। किन्तु किसी भी कारणवश स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका को उसके अनुभव का लाभ देते हुए पुनः मानदेय सेवा में लेने के लिए कोई अवरोध नहीं होगा।

xi) राज्य सरकार के निर्णयानुसार परियोजना के समापन, पुर्नगठन अथवा विलय के फलस्वरूप आंगनबाडी केन्द्र बन्द कर दिया जाता है तो उस केन्द्र पर कार्यरत मानदेय कर्मियों की सेवाऐं स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। इस कारण उन्हें किसी भी विधिक कार्यवाही का अधिकारी नहीं होगा।

xii) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवक्ता में उतरोत्तर वृद्वि होने तथा केन्द्र के रिकार्ड संधारण एवं मोनेटरिंग की नवीनतम तकनीकों के लागू होने से दक्ष एवं पर्याप्त शैक्षणिक योग्यताधारी कार्यकर्ताओं का होना आवश्यक है। किसी कारणवश निरक्षर या पॉचवी कक्षा से कम शैक्षणिक योग्यताधारी कार्यकर्ताओं या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी केन्द्र पर पहले से कार्यरत है और अब यदि इसके स्थान पर वांछित शैक्षणिक योग्यताधारी एवं अन्य पात्रता पूर्ण करने वाली महिला उपलब्ध हो तो कार्यरत महिला को एक नोटिस देकर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मानदेय सेवा से पृथक कर उसके स्थान पर नियमानुसार नवीन चयन किया जा सकेगा।

xiii) उपरोक्त बिन्दू संख्या (vii) में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य परिस्थितियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मानदेय सेवा से पृथकीकरण आदेश जारी किये जायेंगे। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख करना होगा कि व्यथित मानदेयकर्मी किस स्तर पर तथा कितने समय में अपील कर सकता है।

xiv) अपील करने के लिए निर्धारित अवधि अथवा अपील होने पर उसके निस्तारण होने तक संबंधित मानदेय कर्मी के स्थान पर नवीन चयन नहीं किया जायेगा।

मानदेय सेवा से पृथक किये गये ऐसे मानदेयकर्मी 1 माह की अवधि में अपना अभ्यावेदन (अपील) तथा प्रथम अपील की निस्तारण तिथि से 1 माह की अवधि में द्वितीय अपील निम्नानुसार सम्बन्धित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे :–

(I) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी पृथक्करण आदेश की स्थिति में :–

क्र.स	क्षेत्र	अपील अधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	2 माह	2 माह
2	शहरी	अतिरिक्त जिला कलक्टर	अतिरिक्त निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं	2 माह	2 माह

(II) बिन्दू संख्या (vii) के अनुसार जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा जारी पृथक्करण आदेश की स्थिति में :–

क्र.स	क्षेत्र	अपील अधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	जिला परिषद की प्रशासन एव स्थापना स्थाई समिति	2 माह	2 माह
2	शहरी	अतिरिक्त जिला कलक्टर	अतिरिक्त निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं	2 माह	2 माह

परन्तु विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस के अंदर राज्य सरकार नियुक्ति/पृथकीकरण आदि से संबंधित प्रकरणों को मंगवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

5. आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के उच्च शैक्षणिक अध्ययन हेतु अनुमति

i) कोई मानदेयकर्मी जो प्राईवेट/दूरस्थ उच्च अध्ययन (Distance learning) हेतु स्वीकृति चाहती है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

ii) आंगनबाडी मानदेय कार्मिकों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के नियमित अध्ययन/प्रशिक्षण (विभागीय प्रशिक्षण के अतिरिक्त) के लिए अवकाश तथा अनुमति देय नहीं होगी।

iii) केवल परीक्षा देने हेतु परीक्षा दिवसों का अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि मानदेयकर्मी के किसी भी प्रकार के अवकाश के लेने से आईसीडीएस सेवाओं की गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

iv) यदि कोई मानदेय कर्मी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण (जैसे बी.एड, एसटीसी, एएनएम प्रशिक्षण आदि) के लिए प्रस्थान कर जाती है, तो उसे तत्काल मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा तथा उसके स्थान पर अन्य मानदेय कार्मिक का चयन किया जायेगा।

6. आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चुनाव में भाग लेना—

i) आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने से पूर्व त्याग पत्र दिया जाना आवश्यक होगा। यदि त्याग पत्र दिए बिना चुनाव में भाग लिया जाता है तो मतदान की तिथि से उक्त मानदेयकर्मी सेवा से पृथक समझा जाएगा। इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सेवा से पृथक करने का आदेश प्रसारित किया जाएगा। परन्तु यदि वह चुनाव में पराजित हो जाती है तो वह पुनः चयनित होने के लिए आवेदन हेतु पात्र होगी।

ii) यदि कोई मानदेय कर्मी किसी शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसी पद पर मनोनीत की जाती है, तब भी उसे मनोनयन के 1 माह के अन्दर किसी भी एक पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 माह पूर्ण होने के पश्चात् उसे मानदेय सेवा से स्वतः पृथक समझा जायेगा तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी इस संबंध में पृथक्करण आदेश जारी करेंगे।

7. मानदेय कार्मिकों को देय अवकाश

(A). <u>प्रसूति अवकाश</u>

i) इस अवकाश की अधिकतम अवधि 180 दिवस होगी। प्रसूति अवकाश आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा गर्भावस्था के 8वें माह से लिया जा सकता हैं।

ii) प्रसूति अवकाश सुविधा अधिकतम दो बार देय होगी।

iii) प्रसूति अवकाश की सुविधा उन्हीं कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को देय होगी जिनके दो से कम जीवित सन्तान हैं।

iv) मानदेय कर्मियों द्वारा प्रसूती अवकाश के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी संभावित प्रसवतिथि (इडीडी) अथवा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र/प्रसूता के डिस्चार्ज टिकिट की प्रतिलिपि के साथ साधारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

v) प्रसूती अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जावे।
i) प्रसूति अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जावेगा, जो कि वह प्रसूति अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।

(B) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश :–

i) यह अवकाश घटना के दिवस से अधिकतम 45 दिवस का होगा।
ii) प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त यह सुविधा एक ही बार देय होगी।
iii) इस अवकाश की स्वीकृति के लिए कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका पर जीवित बच्चों की संख्या का उपबन्ध प्रभावी नहीं होगा।
iv) यह अवकाश किसी पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है।
v) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जावे।
vi) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जावेगा जो कि वह गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।

कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के प्रसूति/गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश पर जाने की स्थिति में केन्द्र की गतिविधियां प्रभावित नहीं हो, इसे ध्यान में रखकर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर केन्द्र संचालन सुचारू रखा जावेगा।

(C) आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता को देय अवकाश –

1.	ईदुलफितर (चांद से)	1 दिवस
2.	होली दहन	1 दिवस
3.	घुलण्डी	1 दिवस
4.	ईदुलजुहा (चांद से)	1 दिवस
5.	रामनवमी	1 दिवस
6.	रक्षा बन्धन	1 दिवस
7.	जन्माष्टमी	1 दिवस
8.	विजय दशमी (दशहरा)	1 दिवस
9.	दीपावली	1 दिवस
10.	गोवर्धन पूजा	1 दिवस
11.	क्रिसमिस	1 दिवस
	कुल	**11 दिवस**

उक्त अवकाशों के अतिरिक्त, जिला कलेक्टर द्वारा घोषित दो स्थानीय अवकाश भी देय होगें।

(C) आकस्मिक अवकाश :–

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 19–9/85–सी.डी.(I) दिनांक 19.03.85 के अनुरूप इन्हें वर्षभर में कुल 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक बार में अधिकतम 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकेगा। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान की जा सकेगी, जिसकी सूचना मानदेयकर्मी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच को भी दी जाएगी। आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को विशेष परिस्थिति के सिवाय 5 दिवस से अधिक का अवकाश नहीं दिया जायेगा।

8 मानदेय कार्मिकों पर लागू अन्य प्रावधान–

(i) आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका को राजकीय कार्य से बैठक/प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने पर वास्तविक बस यात्रा किराया देय होगा।

(ii) आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आंगनबाडी सहायिका की उपस्थिति शहरी क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच द्वारा प्रमाणित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में यदि मानदेय कर्मी द्वारा उपस्थिति पेश करने के 7 दिवस में सरपंच द्वारा उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती है तो संबंधित महिला/पुरूष पर्यवेक्षक से प्रमाणित करवाई जा सकेगी।

(iii) आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आंगनबाडी सहायिका का मानदेय परियोजना कार्यालय से सीधा बैंक खाते में जमा करवाया जायेगा।

(iv) आंगनबाडी केन्द्रों का कार्य समय निम्नानुसार होगा जो आवश्यकता अनुसार बदला भी जा सकेगा :—

आंगनबाडी केन्द्र संचालन समय	
ग्रीष्मकालीन (1अप्रैल से 30 सितम्बर)	08:00 बजे से 12:00 बजे तक (4 घण्टे)
शरदकालीन (1 अक्टूबर से 31 मार्च)	10:00 बजे से 2:00 बजे तक (4 घण्टे)

(राकेश श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2011/ 68163-647 जयपुर, दिनांक 23.7.15

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. सचिव, (बाल विकास) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अति. मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. समस्त जिला प्रमुख।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
9. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
10. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
11. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
12. समस्त बाल विकास परियोजना, अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
13. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

22/7/2015
(महावीर प्रसाद स्वामी)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर
Website:-www.wcd.rajasthan.gov.in.(Tel-fax 0141-2700281) T.N.-0141-2712939

परिशिष्ट 'अ'

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद हेतु आवेदन–पत्र

(आवेदन दो प्रति में भरें)

बाल विकास परियोजना : .... **जिला :** ....

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम ....

राजस्व ग्राम/वार्ड ....

आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम ....
(जिसके लिए आवेदन किया है)

पद जिसके लिए आवेदन किया गया है ....

1. आवेदक का नाम ....
2. पति का नाम ....
3. पिता का नाम ....
4. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
5. सम्पर्क फोन नम्बरः ....
6. जन्म तिथि ....
7. आयु वर्ष .... माह ....
   (आवेदन की तिथि को)
8. जाति ....
9. वर्ग अनु.जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक/ओ.बी.सी/सामान्य (टिक करें)
10. वैवाहिक स्थिति विवाहित/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा (टिक करें)
11. विवाह की तिथि ....
12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण

यहाँ अपना पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएं

क्र.सं.	वर्ष	उत्तीर्ण कक्षा	विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विशेष विवरण

13. पूर्व में सम्पन्न कार्य अनुभव ....
    ....
    (जहाँ आवश्यक हो प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

(अगले पृष्ठ पर जारी)..........

14. अन्य योग्यता का विवरण ....

....

....

15. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि ....

संलग्न दस्तावेज (सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति):

1. अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र
2. सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र
3. मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड
4. अनूसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र /ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र
5. कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
6. बी पी एल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) (यदि लागू हो)

....

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

दिनाँक ....

घोषणा

1. मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैनें कोई सूचना नहीं छिपाई है। यह जानकारी/सूचनाएं असत्य अथवा अप्रामाणिक पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगी।
2. मुझे विदित है कि आवेदित पद पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है।
3. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है जिसका नियमित उपयोग किया जाता है।

....

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

दिनाँक ....

रसीद यहाँ से फाड़ कर आवेदनकर्ता को दी जाये

आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद

श्रीमती .... पत्नी श्री .... निवासी .... से आँगनबाड़ी केन्द्र .... के लिए पद .... हेतु आवेदन पत्र मय ....संलग्नक प्राप्त किया गया।

....

दिनाँक ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

परिशिष्ट 'ब'

चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र

जिले का नामः– .... परियोजना का नामः–..

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नामः– ....

आँगनबाड़ी केन्द्र का नामः– ....

क्र.सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	पूर्णांक	प्राप्तांक
1A	शैक्षणिक योग्यता (कार्य./मिनी कार्य.)	स्नातक या स्नातक से अधिक या समकक्ष योग्यता	3	3	
		12वीं पास या समकक्ष योग्यता	2		
		10वीं पास या समकक्ष योग्यता	1		
1B	शैक्षणिक योग्यता (सहायिका)	12वीं पास या समकक्ष योग्यता	3	3	
		10वीं पास या समकक्ष योग्यता	2		
		8वीं पास या समकक्ष योग्यता	1		
2	श्रेणी	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	3	3	
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक	2		
		पिछडा वर्ग/सामान्य	1		
3	कार्यानुभव/विशेष योग्यता	ए.एन.एम./जी.एन.एम. का प्रशिक्षण प्राप्त	3	3	
		आँगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी आँगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/आशासहयोगिनी/साथिन के रूप में 1 वर्ष का कार्यानुभव या ज्योति योजना में लाभार्थी होना	2		
4	बीपीएल	बीपीएल कार्ड (केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित)	1	1	
		कुल		10	....

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्राथमिक जाँच के पश्चात् उनके आधार पर यह मूल्याँकन प्रपत्र भरा गया है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

ग्राम सेवक (ग्रामीण क्षेत्र में)/महिला पर्यवेक्षक (शहरी क्षेत्र में)

नोटः

1. उक्त मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रतियों में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक तथा शहरी क्षेत्र में महिला पर्यवेक्षक द्वारा भरा जाएगा।
2. आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कॉलम 1A तथा सहायिका के लिए कॉलम 1B ही भरा जाये।
3. दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला का चयन किया जाएगा।
4. चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत/शहरी निकाय के कार्यालय में रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में मय चयनित महिला के आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित भेजी जाएगी।

परिशिष्ट 'स'

पंचायत की स्थाई समिति / शहरी चयन समिति द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्ता / मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका पद के लिए अभिशंषा भेजने का प्रपत्र

जिले का नामः–... परियाजेना का नामः–...
....

ग्राम पंचायत / शहरी निकाय का नामः–...
....

दिनांक..............................

ग्राम सभा / शहरी चयन समिति द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक..............अंक प्राप्त करने वाली आवेदन...पिता / पति......................................निवासी............................... ....के नाम की अभिशंषा आँगनबाडी केन्द्र......... ....की कार्यकर्ता / मिनि कार्यकर्ता / सहायिका पद के लिए है। दिनांक............... ....को ....(स्थान) पर आयोजित ग्राम सभा / बैठक में की गई है।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)

हस्ताक्षर (प्रभारी अधिकारी)

हस्ताक्षर (CDPO/LS / प्रतिनिधि)

बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन आदेश में निम्न चयन शर्तों का उल्लेख होना चाहिएः–

1. आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी हैं। इनके द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए इन्हें मानदेय का भुगतानं किया जाता है। यह पूर्णतः अस्थाई है एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली कार्यकर्ता है। इन पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवा नियम लागू नहीं होंगे।
2. इनके द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये कर्तव्यों एवं कार्य दायित्वों की पालना अनिवार्य रूप से की जावेगी।
3. आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को केन्द्र की गतिविधियों का प्रतिमाह का लेखा–जोखा निर्धारित प्रपत्रों में सेक्टर पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना होगा। अन्य सामयिक सूचनाऐं भी यथा आवश्यकता प्रस्तुत करनी होगी।
4. विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों का समय–समय पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जब भी प्रशिक्षण में नामांकित किया जावेगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करना होगा।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाये गये तो विभाग आपकी मानदेय सेवाऐं समाप्त कर आपको हटा सकता है तथा आपके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
6. विभाग द्वारा जारी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया संबंधी नवीनतम परिपत्र में पृथकीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत आपको मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. चयनित महिला को आदेश जारी करने की तिथी से 7 दिवस के अन्दर कार्य ग्रहण कर इसकी सूचना संबंधित पर्यवेक्षक/अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दी जानी होगी। कार्यग्रहण प्रतिवेदन संबंधित सरपंच/वार्ड पार्षद से अग्रेषित करवाया जावे।